क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
REGIONAL OFFICE, EMPLOYEES' STATE INSURANCE ORPORATION
पंचदीप भवन, विंग नं0 4, शिवपुरी प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखंड
PANCHDEEP BHAWAN , WING NO. 4 SHIVPURI, PREMNAGAR , DEHRADUN , UTTRAKHAND
दूरभाष /Phone:: 0135-2773706 फैक्स/ Tele Fax: 0135.2774762

सं-61-ए 49/30/1/2008/रा.भा. दिनांक: 06.04.2018

परिपत्र/ CIRCULAR

विषय : **राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना 2018-19.**

****

समसंख्यक परिपत्र कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या: ए-49/16/3/2017 -रा.भा. दिनांक: 02.04.2018 के अनुशरण में सूचित किया जाता है कि निगम कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए **राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना** लागू है। इस योजना के अन्तर्गत हर वर्ष(01अप्रैल से अगले वर्ष 31मार्च तक) प्राप्त ऐसे सुझावों पर नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था है जिन्हें निगम के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उपयोगी पाया गया हो।

1. योजना में निगम के सभी अधिकारी तथा कर्मचारी (तकनीकी और गैर तकनीकी) भाग ले सकते हैं। **तथापि निगम कार्यालयों में तैनात हिन्दी कार्मिक इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।**
2. एक सुझाव पर पुरस्कार राशि अधिकतम 3000/- रूपये और न्यूनतम 600-रूपये होगी तथा प्रत्येक वर्ष कुल मिलाकर 12,000/- रूपये तक की राशि के पुरस्कार स्वीकृत किए जाएंगे।
3. सुझाव, अपने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अथवा सीधे ही मुख्यालय की राजभाषा शाखा को भेजेंगे।
4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त सुझावों पर मुख्यालय में गठित मूल्यांकन समिति विचार करेगी तथा उसकी सिफारिशों पर" पुरस्कारों का निर्धारण किया जायेगा।
5. उपयोगी/ पुरस्कृत सुझावों का पुरस्कार पाने वाले कर्मचारी के नाम का उल्लेख करते हुए उचित प्रचार भी किया जाएगा।

सभी अधिकारियों को इस अनुरोध सहित कि वे स्वयं इस योजना में बढ़-चढ़कर भाग लें तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें। प्राप्त सुझाव राजभाषा शाखा को भिजवाने का कष्ट करें ताकि आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्यालय प्रेषित किए जा सकें।

भवदीय,

(विजय बोकोलिया)
उप निदेशक(प्रशा.) एंव प्रभारी अधिकारी(रा.भा.)

सेवा में,

1. सभी शाखा अधिकारी कार्यालय अधीक्षक, क.रा.बी.निगम, क्षेत्रीय कार्यालय,देहरादून।
2. सभी कार्यालय अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य परिचालन की सलाह सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. शाखा प्रबंधक/ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी(देहरादून/ सेलाकुई/ हरिद्वार/ भगवानपुर/ रुद्रपुर/ काशीपुर/ लालकुआं) को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य परिचालन की सलाह सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपि:-